

**नवीन जिला न्यायालय परिसर, रीवा में
कैटीन संचालन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा के सामने नव निर्मित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में स्थित बार बिल्डिंग (अधिवक्ता भवन) में कैन्टीन संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं/कंपनियों/व्यक्तियों से संलग्न प्रारूपों में निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदनकर्ता कैटीन संचालन हेतु नीचे लिखी वेबसाइट से टेक्निकल बिड एवं निविदा फार्म (निःशुल्क) डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरकर भरी हुई निविदा 40000/-रुपए (रुपए चालीस हजार मात्र) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पक्ष में डी.डी. के साथ ई.एम.डी. के रूप में टेक्निकल बिड एवं निविदा फार्म अलग-अलग लिफाफे में, तथा दोनो फार्म एक बड़े लिफाफे में एक साथ संलग्न कर कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा म0प्र0 नवीन जिला न्यायालय परिसर रीवा में निम्नानुसार प्रस्तुत करें।

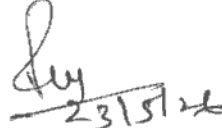
निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय	23-06-2026
निविदा खोले जाने की दिनांक समय व स्थान	25-06-2026 सायं 05:00 बजे विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज रीवा के विश्राम कक्ष
निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु EMD राशि	40000/-

निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता अपने प्रतिनिधि या स्वयं निविदा खोले जाने वाले दिनांक को उपस्थित हो सकते हैं।

निविदा की शर्तें एवं संपूर्ण जानकारी म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphe.gov.in तथा जिला न्यायालय रीवा की वेबसाइट <https://rewa.dcourts.gov.in> पर भी उपलब्ध है, जहां से डाउनलोड की जा सकती है।

संलग्न :-

1. निविदा फॉर्म- ए (टेक्निकल बिड)।
2. निविदा एवं शर्तें।


23/5/26
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला रीवा म.प्र.

कार्यालय: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

कैटीन संचालन का स्थान:-

**नवीन जिला न्यायालय परिसर रीवा (म0प्र0)
निविदा फॉर्म- ए (टेक्निकल बिड)**

नवीन न्यायालय भवन रीवा परिसर में स्थित बार बिल्डिंग (अधिवक्ता भवन) में लगभग 5400 वर्गफिट में स्थित कैन्टीन जिसमें किचिन, स्टोर, बैठने का स्थान, वाशरूम, सर्विस काउंटर निर्मित है, में अस्थायी कैटीन के संचालन हेतु योग्य निविदाकर्ताओं से वर्ष 2026-2027 में एक वर्ष तक की अवधि हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन निविदा फॉर्म-ए आमंत्रित की जाती है, जो निम्नानुसार है-

क्रमांक	निविदाकर्ता का विवरण	निविदाकर्ता द्वारा भरा जावे
1	निविदाकर्ता का नाम-	
2	पता-	
3	मोबाइल नंबर-	
4	आधार कार्ड नंबर-	
5	पैन कार्ड नंबर-	
6	कैटीन/कैटरर्स आतिथ्य सत्कार कार्य का अनुभव (विस्तृत) संलग्न करें	
7	जी.एस.टी. पंजीयन	
8	संबंधित अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अनुज्ञप्ति का विवरण यदि हो तो	
9	पी.एफ. एवं ई.एस.आई. रजिस्ट्रेशन (कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी बीमा), यदि हो	
10	प्रस्तावित अनुबंध राशि (शब्दों एवं अंकों में)	
11	निविदाकर्ता को निविदा की नियम व शर्तें मान्य हैं या नहीं	
12	निविदाकर्ता किस हैसियत से निविदा फॉर्म भर रहा है- (प्रोपाइटर/पार्टनर/डायरेक्टर)	
13	ई.एम.डी. की धनराशि का डी.डी. नंबर एवं बैंक का नाम	

14. निविदा के साथ वर्णित नियम व शर्तें मुझे मान्य हैं।

15. उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों (आधार कार्ड, पैन कार्ड, विस्तृत अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्र आदि) की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न हैं। आवश्यकतानुसार अनुभव के संबंध में पृथक से अनुभव के संबंध में उल्लेख कर संलग्न कर सकते हैं।

दिनांक-

निविदा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर

नाम-.....

पता-.....

कार्यालय: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा म0प्र0
नवीन जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने जिला रीवा म0प्र0 में कैटीन
संचालन हेतु निविदा फॉर्म एवं शर्तें
—निविदा फॉर्म—

प्रथम पक्ष— निविदाकर्ता का नाम.....

पता—.....

मोबाईल नंबर—.....

द्वितीय पक्ष— जिला रजिस्ट्रार, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला रीवा म0प्र0 की ओर से जिला न्यायालय परिसर रीवा स्थित कैटीन में वर्ष 2026–27 तक संचालन हेतु निविदाकर्ताओं से निर्धारित शर्तों के अध्ययधीन निविदा आमंत्रित की जाती है:—

॥ निर्धारित शर्तें ॥

01. निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद निविदा दिनांक 23.6.26 तक कार्यालयीन समय पर स्वीकार की जावेगी। इसके पश्चात प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
02. उक्त कैटीन 01 वर्ष के लिए लाईसेन्स पर दी जायेगी, जिसका न्यूनतम मासिक लाईसेन्स फीस रुपये 94,000/— रुपये प्रतिमाह से कम नहीं होगा। इस राशि से अधिक की बोली लगाए जाने वाले व्यक्ति को ही लाइसेन्स पर कैटीन का स्थान दिया जाएगा।
03. लायसेंस फीस प्रत्येक माह की 10 तारीख तक ऑनलाइन चालान के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन के मद में जमा करना होगा तथा चालान की प्रतिलिपि कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। उक्त 01 वर्ष की अवधि के पश्चात 10 प्रतिशत राशि की वृद्धि की जाकर पुनः संचालन अवधि को कार्य अच्छा पाये जाने पर बढ़ाया जा सकेगा।
04. निविदाकर्ता को निविदा फॉर्म के साथ 40,000/— रुपये की ई.एम.डी. राशि प्रधान जिला न्यायाधीश, रीवा को ऑनलाइन के माध्यम से देय होगी। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ता को उक्त ई.एम.डी. राशि ऑनलाइन ही वापस की जावेगी। निविदा स्वीकार होने पर अनुबंध न करने की स्थिति में उक्त ई.एम.डी. की राशि जप्त कर ली जाएगी।
05. निविदा स्वीकार होने पर सफल निविदाकार को 02 लाख रुपए की सिक्क्योरिटी डिपॉजिट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा के पक्ष में जरिए डिमांड ड्राफ्ट जमा करनी होगी जिसपर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
06. कैटीन में शुद्ध गुणवत्ता की सामग्री का ही विक्रय किया जावेगा। दूषित अथवा मिलावटी कोई वस्तु न तो कैटीन में लाई जाएगी और न ही उससे कोई खाद्य सामग्री बनाई जाएगी और न ही बेची जाएगी।
07. माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 द्वारा स्वच्छ न्यायालय मिशन के अंतर्गत साफ—सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा।
08. कैटीन संचालक बर्तनों की सफाई के पश्चात अवशेष पानी न्यायालय में निर्मित नाली में प्रवाहित करने के पूर्व उसके साथ खाद्य सामग्री अवशेष को पृथक करेगा अन्यथा नाली चोक होने अथवा संक्रमण की स्थिति में कैटीन संचालक की जिम्मेदारी होगी।
09. कैटीन परिसर में किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों का संचालन एवं मादक पदार्थों, धूम्रपान आदि का कय—विक्रय तथा उपभोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। निविदाकर्ता के उक्त संबंध में संलिप्त पाये जाने पर उसके विरुद्ध विधि अनुसार समुचित कार्यवाही की जावेगी।

10. निविदाकर्ता को निविदा प्राप्त कर कैटीन संचालन के दो माह के अंदर फर्म का म0प्र0 दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन, पी.एफ. रजिस्ट्रेशन, कर्मचारी भविष्यनिधि और कर्मचारी राज्य बीमा रजिस्ट्रेशन तथा fssai से फूड लायसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
11. निविदाकर्ता फर्म के पास केटरिंग क्षेत्र में कम से कम 02 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
12. निविदाकर्ता फर्म देश में लागू श्रमिक विधियों के अनुसार ही निविदाकर्ता कर्मचारियों को कैटीन के व्यापार में नियोजन में लेगा तथा उन्हें निर्धारित न्यूनतम वेतनमान से कम वेतन नहीं देगा।
13. कैटीन ठेकेदार द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
14. ठेके का उपठेका नहीं दिया जा सकेगा।
15. कैटीन के ठेके में भाग लेने वाले व्यक्ति एवं उसके पार्टनर के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिए।
16. यदि ठेकेदार द्वारा एक माह का मासिक लाईसेन्स फीस अदा नहीं किया जाता है कि तो उसकी संपूर्ण सुरक्षा निधि राजसात की जाकर ठेका निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
17. कैटीन संचालन के कारण आवागमन बाधित नहीं होना चाहिए।
18. सफल निविदाकर्ता को न्यायालयीन सुरक्षा एवं अनुशासन के साथ कैटीन का संचालन प्रत्येक कार्य दिवसों में प्रातः 09 बजे से सायंकाल 07.00 बजे तक किया जाना अनिवार्य होगा। यदि बिना किसी पूर्व सूचना के कार्य दिवस में कैटीन का संचालन बंद होना पाया जावेगा तो 1000/- रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जावेगी। न्यायालय अवकाश के दिनों में बिना अनुमति के कैटीन का संचालन नहीं किया जावेगा।
19. कैटीन संचालक को स्वयं के व्यय पर पृथक से विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर विद्युत बिल का नियमित भुगतान करना होगा। विद्युत बिल का नियमित भुगतान न करने की स्थिति में लाईसेन्स निरस्त किया जा सकता है।
20. कैटीन में विक्रय की जाने वाली सामग्री अमानक तथा मिलावटी नहीं होगी, जांच में यदि खाद्य सामग्री मिलावटी अथवा अमानक पायी जाती है, तो कैटीन का ठेका निरस्त करते हुए विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा को अधिकार होगा।
21. कैटीन संचालक पीने के पानी की स्वयं व्यवस्था करेगा तथा पानी का टी.डी.एस. 250 से कम हो ऐसी व्यवस्था भी करेगा।
22. कैटीन संचालन हेतु कैटीन संचालक स्वयं का फर्नीचर रखेगा।
23. कैटीन संचालक अग्निशमन यंत्र कैटीन में लगवाएगा।
24. खाद्य सामग्री की दरों की सूची निविदा के साथ संलग्न की जावेगी।
25. निविदाकर्ता द्वारा खाद्य सामग्री विक्रय की दर द्वितीय पक्ष से अनुमोदित कराई जावेगी, ऐसी दर बाजार दर से अधिक नहीं होगी एवं अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय की जावेगी।
26. निविदाकर्ता कैटीन के संचालन के दौरान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण /अस्थाई संरचना बिना अनुमति के नहीं किया जायेगा। निविदाकर्ता द्वारा

कैटीन संचालन में ऐसा अस्थाई निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है अथवा मरम्मत/अनुरक्षण कार्य आवश्यक हो, पूर्व में प्रधान जिला न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदित करवाने के उपरांत ही कर सकेंगे, जो शासकीय संपत्ति को क्षति कारित करने वाला न हो। किन्हीं कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अस्थाई निर्माण को हटाने का आदेश देगा तो निविदाकर्ता अपने अस्थाई निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटायेगा।

27. विक्रय योग्य वस्तुओं की दरें कैटीन परिसर में सहज दृश्य भाग पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व भी प्रथम पक्ष का होगा।
28. कैटीन संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कोई दायित्व नहीं रहेगा।
29. अनुबंध अवधि में जल संयोजन हेतु अनुमति द्वितीय पक्ष द्वारा नियमानुसार दी जा सकेगी, जिसका व्यय निविदाकर्ता को ही वहन करना होगा।
30. सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा फॉर्म में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर, निर्धारित स्टाम्प शुल्क स्वयं के व्यय से निष्पादन किया जावेगा।
31. कैटीन का ठेका आवंटन/निरस्ती के संबंध में एक मात्र विवेकाधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा का होगा।
32. कैटीन परिसर या उसका कोई भाग उपकिरायेदारी आदि पर या अन्यथा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।
33. कैटीन परिसर का उपयोग आवासीय या अन्य व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जावेगा। रात्रि में कैटीन के चौकीदार को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को कैटीन में रुकने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।
34. कैटीन में स्वच्छता और पर्याप्त सेवा सुनिश्चित करने की दृष्टि से कैटीन के कामकाज का निरीक्षण और निगरानी करने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी/समिति के द्वारा की जाएगी। यदि ठेकेदार की विफलता के संबंध में समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त स्थिति में अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही अथवा कैटीन संचालन का ठेका निरस्तगी संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी।
35. कैटीन संचालनकर्ता द्वारा बंद निविदा के साथ पहचान-पत्र जैसे मतदाता परिचय पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/आधारकार्ड/पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
36. कैटीन संचालनकर्ता एवं उनके कर्मचारी निर्धारित गणवेश धारण करेंगे और कैटीन संचालक उन्हें पहचान पत्र उपलब्ध करायेंगे तथा कार्य करने वाले कर्मचारी की सूची कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
37. निविदाकर्ता/ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल के अवलोकन के संबंध में दिनांक 15 व 16.6.26 को जिला नाजिर रीवा से संपर्क कर सकते हैं।
38. निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी हेतु जूनियर सिस्टम एनालिस्ट एवं जिला नाजिर, नजारत अनुभाग जिला न्यायालय रीवा से संपर्क किया जा सकता है।
39. निविदा समाप्त होने पर एवं अनुबंध के पूर्व कोई भी नई शर्त जोड़ी जा सकती है।
40. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रीवा को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये निविदा को किसी भी समय समाप्त कर दें।

41. इस निविदा से संबंधित किसी विवाद के संबंध में क्षेत्राधिकार केवल जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा का होगा।
42. न्यूनतम धनराशि से उपर की निविदा प्राप्त होने पर कार्यालय को अनुभवी कैंटीन संचालक को जिसके पास बड़ी संख्या में लोगों को आतिथ्य सत्कार/गुणवत्तायोग्य भोजन सामग्री, बनाने वाले व्यक्ति/फर्म को वरीयता दी जा सकती है।
43. बिजली के बिल बकाया होने या नालियों की सफाई कराने या कैंटीन की सफाई कराने में आवश्यक व्यय होने पर अथवा अधिरोपित शास्ति को निविदाकार द्वारा जमा की गयी सिक्क्योरिटी डिपॉजिट से काट लिया जाएगा।

घोषणा :-

मैंने निविदा की शर्तों को पूर्ण रूप से पढ़ कर समझ लिया है। मैं उपरोक्त निविदा की शर्तों से सहमत हूँ।

**निविदाकर्ता का पूर्ण नाम, पते के साथ
हस्ताक्षर एवं दिनांक**